एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय : नगर निगम मथुरा—वृन्दावन, मथुरा

पत्र संख्या : 450/एलटी/न0नि0म0वृ0—मथुरा/2020—21, दिनांक : 09-10-2020

कार्यालय आदेश

1—अपर नगर आयुक्त,
2—क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम मथुरा—वृन्दावन
मथुरा।

विषय आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 10.10.2020 से 16.10.2020 तक विशेष सफाई अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0—1134/नौ—7/20—27(ज)/2014टी0सी0 दिनांक 08.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत एवं कोविड—19 तथा संचारी रोगों के परिप्रेक्ष्य में नगरीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्क्रम में उक्त विशेष सफाई अभियान के दौरान निम्नलिखित कार्यवाही प्रभावी रूप से तत्काल सुनिश्चित करायी जायेगी—

1—सफाई की समुचित व्यवस्था—

- सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु वार्ड स्तरीय नोडल अधिकारी/कर्मचारी व कूडा उठाने के वाहन, मशीन व अन्य उपकरणों के साथ क्षेत्र में निकलेंगे व स्वयं की देख—रेख में निर्धारित क्षेत्र को साफ करायेंगे।
- सफाई अभियान निगम के समस्त वार्डों में संचालित किया जायेगा। सफाई के दौरान एकत्रित किये गये कूडे को उसी समय प्रोसेसिंग प्लांट पर भिजवाया जायेगा।
- नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत साफ—सफाई, हाथ धोना, शौचालय की सफाई तथा घर से जल निकासी हेतु जन—जागरण के लिए प्रचार—प्रसार किया जाये तथा संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार के रोकथाम हेतु "क्या करें क्या न करें" के पम्पलेट/लीफलेट, बैनर आदि से आमजन को जागरूक किया जाये।

2—नाले/नालियों की सफाई—

- नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सफाई अभियान के दौरान छोटे—बडे सभी नाले/नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाये।
- नाले से निकला हुआ सिल्ट तत्काल वहां से उचित स्थान पर भिजवाया जाये। किसी भी दशा में एकत्रित किये गये कूडे अथवा सिल्ट को सडक पर नहीं छोडा जायेगा।

3—खुले में शौच मुक्ति—

- स्वच्छता के अभियान में शौचालयों का निर्माण व निर्मित शौचालय के समुचित प्रयोग द्वारा खुले में शौच से मुक्ति (ओ0डी0एफ0) के लक्ष्य को हासिल करना, एक महत्वपूर्ण अंग है। इस अभियान के तहत समस्त सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय आदि की समुचित सफाई व रख—रखाव सुनिश्चित कराया जायेगा।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्र संख्या : 450/एसटी/न0नि0म0वृ0–मथुरा/2020–21, दिनांक : 09-10-2020

4–दवा का छिडकाव–

➤ वैक्टरजनित रोगों के रोकथाम के लिए आवश्यक है कि एंटीलार्वा दवाई का नियमित छिडकाव व फॉगिंग की जाये। इस अभियान के दौरान जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित करके प्रतिदिन, दिन में दवा का छिडकाव किया जायेगा तथा शाम के समय फॉगिंग की जायेगी।

5–विशेष प्रचार–प्रसार अभियान–

➤ कोरोना वायरस एवं संचारी रोग के संक्रमण की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के अनुरूप कोरोना वायरस एवं संचारी रोगों के विषयगत बरती जाने वाली सावधानी एवं सतर्कता के बिन्दु को आम जन मानस के मध्य विशेष रूप से प्रचार–प्रसार अभियान चलाया जाये। इस हेतु भीड–भाड वाले स्थानों/बाजारों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम से प्रचार–प्रसार का कार्य कराया जाये।

6–कोविड–19 के दृष्टिगत घोषित कन्टेनमेंट जोन में विशेष सैनिटाइजेशन किया जाना–

➤ कन्टेनमेंट जोन के अर्न्तगत जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कराया जाये।

अतः निर्देशित किया जाता है कि, शासन द्वारा निर्धारित समयावधि अर्न्तगत शासन की मंशानुरूप अभियान चलाते हुए प्रतिदिन कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में संकलित रिपोर्ट तद्‌दिनांक निर्धारित प्रारूप–'क' एवं 'ख' पर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

संलग्न–यथोपरि।

(रविन्द्र कुमार मांदड)
नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

प्रतिलिपि–

1–समस्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा को अनुपालनार्थ।

2–श्री सुनील कौशिक, लिपिक को इस आदेश के साथ कि प्रतिदिन की कृत कार्यवाही की रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर तैयार कर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन
मथुरा।

एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्र संख्या : 450/ एसटी / न0नि0म0वृ0–मथुरा / 2020–21, दिनांक : 09-10-2020

4–दवा का छिडकाव–

- वैक्टरजनित रोगों के रोकथाम के लिए आवश्यक है कि एंटीलार्वा दवाई का नियमित छिडकाव व फॉगिंग की जाये। इस अभियान के दौरान जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित करके प्रतिदिन, दिन में दवा का छिडकाव किया जायेगा तथा शाम के समय फॉगिंग की जायेगी।

5–विशेष प्रचार–प्रसार अभियान–

- कोरोना वायरस एवं संचारी रोग के संक्रमण की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के अनुरूप कोरोना वायरस एवं संचारी रोगों के विषयगत बरती जानें वाली सावधानी एवं सतर्कता के बिन्दु को आम जन मानस के मध्य विशेष रूप से प्रचार–प्रसार अभियान चलाया जाये। इस हेतु भीड–भाड वाले स्थानों / बाजारों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम से प्रचार–प्रसार का कार्य कराया जाये।

6–कोविड–19 के दृष्टिगत घोषित कन्टेनमेंट जोन में विशेष सैनिटाइजेशन किया जाना–

- कन्टेनमेंट जोन के अर्न्तगत जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कराया जाये।

अतः निर्देशित किया जाता है कि, शासन द्वारा निर्धारित समयावधि अर्न्तगत शासन की मंशानुरूप अभियान चलाते हुए प्रतिदिन कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में संकलित रिपोर्ट तद्दिनांक निर्धारित प्रारूप–'क' एवं 'ख' पर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

संलग्न–यथोपरि।

(रविन्द्र कुमार मांदड)
नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

प्रतिलिपि–

1–समस्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा को अनुपालनार्थ।
2–श्री सुनील कौशिक, लिपिक को इस आदेश के साथ कि प्रतिदिन की कृत कार्यवाही की रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर तैयार कर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन
मथुरा।